पत्र सं0- ब17/बी0एस0जी0-157/2013 - 81 /वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रवि मित्तल
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 19/01/2017

विषय - वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-07.02.2017 तक भेजने के संबंध में ।

महोदय,

आगामी विधान मंडल के सत्र में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है, जिसके लिए प्रशासी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाना अपेक्षित है । वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में शामिल करने हेतु निम्नांकित मामलों से संबंधित प्रस्ताव दिनांक- 07.02.2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक निश्चित रूप से वित्त विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ।

1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना से संबंधित वैसे विषय :-

(क) जिसमें बजट उपबंध अपर्याप्त हो एवं तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंध नही कराये जाने की स्थिति में, केन्द्र सरकार से इस संबंध में निर्गत राशि का उपयोग नही होने की संभावना हो, अथवा

(ख) वैसे विषय जिसमें तृतीय अनुपूरक से बजट उपबंध नही कराये जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार से स्वीकृत एवं सुनिश्चित रूप से प्राप्त होने वाली राशि की प्राप्ति नही होने की संभावना हो ।

2. वेतनादि से संबंधित वैसे मामलें जिसमें पुनर्विनियोग से राशि का उपबंध कराना संभव न हो, के संबंध में प्रस्ताव ।
3. अन्य वैसे अत्यंत बाध्यकारी विषय जिसमें राशि की उपबंध कराने हेतु स्वयं विभागाध्यक्ष संतुष्ट हो, के संबंध में प्रस्ताव ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में यदि कोई प्रस्ताव हो तो उक्त निर्धारित तिथि तक वित्त विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन

(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव